UPPG120014942019

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्या0मजि0, लालगंज, प्रतापगढ़।

परिवाद संख्या– 105/2019

पूजा चतुर्वेदी बनाम अभिषेक आदि।

दिनांकः 30.07.2022

पत्रावली पेश। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण/आदेश प्रार्थना पत्र 5ब अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम नियत है। उक्त पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है।

परिवादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 5ब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की धारा 17, 18, 19, 20, 22 व 23 में मॉगें गये अनुतोष अति आवश्यक है यदि एक पक्षीय अन्तरिम अनुतोष प्रार्थिनी को नहीं दिया गया तो प्रार्थिनी को अत्यधिक वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अन्तरिम रूप से दौरान विचारण प्रार्थना पत्र घरेलू हिंसा से संरक्षित करने का आदेश खान खर्च व दवा इलाज के लिये 15,000/–रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने का आदेश देने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी द्वारा यह कथन किया गया कि विपक्षी सं0 1 दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है जिससे उनकी आमदनी 25,000/रू0 प्रतिमाह है। पर्याप्त मात्रा में खेती–बारी है। जिससे उसकी मासिक आमदनी लगभग 50,000/रूपये प्रतिमाह से अधिक है। किन्तु परिवादिनी की ओर से उक्त के सम्बंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण विपक्षी को दैनिक वेतन भोगी माने जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 5ब अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण अभिषेक मिश्रा, सच्चिदानन्द उर्फ मुन्ना मिश्रा, श्रीमती शोभा मिश्रा, अनुराग मिश्रा, श्रीमती रन्जू देवी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिनी को आदेश की तिथि से वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रति माह रुपये 3000/– अंतरिम भरण पोषण के रूप में प्रदान करेंगे। तदनुसार उपरोक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादिनी दिनांक 16.08.2022 को पेश हो।

(कुँवर दिव्यदर्शी)
सिविल जज(जू0डि0)/न्या0मजि0,
लालगंज,प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2022.07.30 16:07:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court